पटना समाहरणालय, पटना

(विधि शाखा)

आदेश

पटना समाहरणालय के विभिन्न शाखाओं एवं अन्य सम्बद्ध कार्यालयों से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं, जिसमें जिलाधिकारी भी प्रत्यर्थी/विपक्षी पक्षकार के रूप में सम्मिलित हैं, का शाखा/कार्यालयवार एक डाटा बेस तैयार कराया गया है। वरीय उप समाहर्त्ता, प्रभारी, विधि शाखा,पटना समाहरणालय, पटना को निदेश दिया जाता है कि वे उसकी सॉफ्ट कॉपी तुरंत आई0टी0 मैनेजर,पटना को उपलबध करा देंगे जो उसे पटना जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड कर देंगे ताकि संबंधित कार्यालय/शाखा को भी उनसे संबंधित लंबित वादों की जानकारी प्राप्त हो सके।

2. लंबित वादों के संबंध में प्रतिशपथ पत्र दायर होने/निष्पादित हो जाने के विषयक समय–समय पर प्राप्त होने वाली सूचनाओं के आधार पर विधि शाखा द्वारा उनकी शाखा में संधारित डाटाबेस को अद्यतन किया जायेगा और प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस को अद्यतीकृत डाटा (updated data) की सॉफ्ट प्रति आई0टी0 मैनेजर को उपलब्ध करा दिया जायेगा जो पूर्व के प्रकाशित डाटा को अद्यतन प्राप्त डाटा से प्रतिस्थापित (replace) कर देंगे।

3. राजस्व पर्षद, बिहार से प्राप्त निर्देशों के आलोक में जिला दंडाधिकारी–सह–समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अंचल अधिकारी के न्यायालयों में विचाराधीन अर्द्धन्यायिक मामलों में पारित आदेशों की प्रति भी जिले के अधिकारिक वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाना है। इस आलोक में सभी पीठासीन पदाधिकारी (अथवा उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी) उनके न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की प्रति सीधे आई0टी0 मैनेजर, पटना समाहरणालय, पटना को प्रेषित करेंगे जो जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पटना के सहयोग से उसे पटना जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करेंगे।

4. सभी संबंधित इसका अनुपालन पूरी दृढ़ता एवं तत्परतापूर्वक सुनिश्चित करेंगे।

ह०/–
जिला दंडाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक XIX- 1/13- 904 /मु०विधि, दिनांक 5/3/13

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पटना/आई0टी0 मैनेजर, पटना समाहरणालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वरीय उप समाहर्त्ता, प्रभारी, विधि शाखा,पटना/पेशकार, समाहर्त्ता, न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अंचल अधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त,पटना/सभी अपर समाहर्त्ता/सभी अपर जिला दंडाधिकारी, पटना/पटना समाहरणालय के सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पटना प्रमंडल,पटना/सचिव, राजस्व पर्षद,बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दंडाधिकारी,
पटना।